श्रवण कंवर आदि – संवत सिंह आदि मु.नं. 114/23

| क | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| .8.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 2.9.24 को पेश हो। | भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर |
| 2.9.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 3.9.24 को पेश हो। | भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर |
| 3.9.24 | पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 4.9.24 को पेश हो। | भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर |
| 4.9.24 | पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/9/24 को पेश हो।<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | |
| 12/9/24 | पत्रावील पेश । अपील अपीलांट...खारिज... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एव<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर | न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सत्यमेव जयते<br>* सीकर * |

## न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 114/2023

1 सुमन कंवर उम्र 55 साल पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
2 पार्वती उम्र 58 साल पत्नी मोतीलाल जाति सोनी निवासी ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवर सिंह उम्र 65 साल पुत्र स्व. नारायण सिंह
2 गंगा सिंह उम्र 60 साल पुत्र स्व. नारायण सिंह
3 रामसिंह उम्र 51 साल पुत्र स्व. नारायण सिंह
4 जगदीश सिंह उम्र 48 साल पुत्र स्व. नारायण सिंह
5 राजू कंवर उम्र 55 साल पुत्री स्व. नारायण सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।
6 सदीक उम्र 70 साल पुत्र गुलाब खां
7 अनवर उम्र 61 साल पुत्र गुलाब खां
8 अयूब उम्र 58 साल पुत्र गुलाब खां
9 सलीम उम्र 53 साल पुत्र गुलाब खां
समस्त जाति कसाई मुसलमान निवासीगण सिंहासन तहसील व जिला सीकर राज.।
10 सोहन कंवर उम्र 75 साल पत्नी रेवन्तसिंह जाति राजपूत
11 किरण कंवर उम्र 55 साल पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत
12 बरकत बानो उम्र 76 साल पत्नी सुलेमान जाति कसाई मुसलमान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 मनोहर सिंह उम्र 60 साल पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत समस्त जाति निवासीगण ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

14 शकूर उम्र 60 साल पुत्र सुलेमान पुत्र महमद खां

15 बाबू खां उम्र 58 साल पुत्र सुलेमान पुत्र महमद खां

16 आरिफ उम्र 55 साल पुत्र सुलेमान पुत्र महमद खां

17 नदीम उम्र 48 साल पुत्र सुलेमान पुत्र महमद खां

18 रमजान उम्र 65 साल पुत्र यासीन खां पुत्र महमद खां

समस्त जाति कसाई मुसलमान निवासीगण ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

19 भंवरलाल उम्र 67 साल पुत्र स्व. शिवभगवान पुत्र केशरदेव

20 मोतीलाल उम्र 63 साल पुत्र स्व. शिवभगवान पुत्र केशरदेव

21 नन्दलाल उम्र 60 साल पुत्र स्व. शिवभगवान पुत्र केशरदेव

22 चांदमल उम्र 58 साल पुत्र स्व. शिवभगवान पुत्र केशरदेव

23 मुकेश उम्र 50 साल पुत्र शिवभगवान पुत्र केशरदेव

समस्त जाति सोनी निवासीगण ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

24 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली तहसील व जिला सीकर जरिए शाखा प्रबंधक।

25 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।

26 पटवारी पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर।

27 तहसीलदार तहसील व जिला सीकर।

28 मकबूल उम्र 66 साल पुत्र करीम खां

29 हुसैन उम्र 64 साल पुत्र करीम खां

जति कसाई मुसलमान निवासीगण ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरूद्ध डिकी एवं निर्णय दिनांक 31.01.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी
सुश्री गरिमा लाटा आरएएस दावा संख्या 299/2014
बउनवानी नारायण सिंह बनाम सुलेमान आदि दावा
बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 12.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 299/2014 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्टस 1 लगायत 5 के पिता की ओर से घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 286 वाके ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते

वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 सुलेमान खां की मृत्यु दिनांक 16.08.2015 को ही एवं प्रतिवादी संख्या 2 यासीन खां की मृत्यु दिनांक 20.04.2019 को तथा प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु दिनांक 15.09.2017 को ही हो गयी थी परन्तु उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। जिस कारण उक्त वाद पत्र पूर्णतया अबेट हो चुका था एवं विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती यदि निर्णय व डिक्री पारित की जाती है तो वह प्रारम्भ से ही अकृतता लिए हुए होती है। अपीलांट संख्या 1 विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में एवं अपीलान्ट संख्या 2 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में पक्षकार थी जिनकी वाद पत्र प्रस्तुतकर्ता एवं उसके वारिसान ने तामील कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तामील करवायी जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.10.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया। जिस कारण अपीलान्टस को समुचित सुनायी का अवसर प्राप्त नहीं हुआ एवं अपीलान्टस अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकी जबकि 'सुनवायी का समुचित अवसर' दिया जाना 'प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त' है। प्रतिवादी संख्या 1 व 14 के संबंध में तो आदेशिका में दिनांक 26.10.2015 एवं उसके पूर्व की आदेशिकाओं में तामील के संबंध में कुछ भी अंकित नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 14 की तामील के बिना ही एकपक्षीय साक्ष्य हेतु दिनांक 26.10.2015 को आदेश पारित कर दिया उसके पश्चात दिनांक 23.02.2016 की आदेशिका के अनुसार वादी की मृत्यु होने पर कायम मुकाम का आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

स्वीकार किया गया जिनमें से सायर कंवर पत्नी नारायण सिंह का भी दिनांक 30.01.2016 को स्वर्गवास हो गया था एवं वाद पत्र की पत्रावली में दिनांक 23.12.2019 को वाद पत्र के प्रतिवादी संख्या 15 का वादी के रूप में शपथ पत्र साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना आदेशिका में अंकित है जबकि एक ही व्यक्ति वादी व प्रतिवादी के रूप में वाद पत्र में कैसे नियोजित हो सकता है। जिन प्रतिवादीगण की सहमति अंकित की उक्त प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदार ही नहीं थे बल्कि वे अपना हिस्सा पहले ही बेचान कर चुके थे एवं अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए उनकी मौन स्वीकृति किस आधार पर विचारण न्यायालय ने मान्य कर ली जब अपीलांट को उक्त वाद पत्र की जानकारी ही नहीं थी यदि अपीलांटस की स्वीकृति होती तो उन्हें वादी अदालत के समक्ष ही उपस्थित कर लिखित सहमति अंकित करवा लेता। इन सभी तथ्यों एवं निर्णय का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करके चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने बिना प्रदर्शित हुए दस्तावेजात एवं बिना साक्ष्य के ही वादी की साक्ष्य मान्य कर निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 पर दस्तावेजात को प्रदर्श 1 से 13 तक अंकित कर दिया इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.01.2023 को पारित अपने ही आदेश के विरूद्ध निष्कर्ष दे दिया जबकि उक्त दस्तावेजात किसी वादी की साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए ना ही वादी के रूप में किसी वादी ने साक्ष्य दी बल्कि प्रतिवादी संख्या 15 के शपथ पत्र को वादी की साक्ष्य का शपथ पत्र मान लिया जो कि विधि के प्रावधानों के विपरित है। विचारण न्यायालय ने पुराना खसरा नम्बर 286 में से 4 बीघा 6 बिश्वा भूमि वादी के पूर्वज नोपजी द्वारा काश्त करना एवं उक्त कृषि भूमि नये खसरा नम्बर 325 हैक्टेयर रकबा 1.01 हैक्टेयर में से 0.8538 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया है जिसका कोई विधिक आधार नहीं है। वाद पत्र में यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई तो एवं दस्तावेजात प्रदर्शित नहीं करवाये हो तो साक्ष्य के अभाव में वाद पत्र खारिज होता है ना मृत व्यक्ति के पक्ष में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वाद पत्र को स्वीकार किया जा सकता है जबकि वादिनी सायर कंवर की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी विचारण न्यायालय ने वाद पत्र को स्वीकार कर लिया इसलिए चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जावें। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017(2) एससी पेज 1047, डीएनजे 2003(3) राज. पेज 1090, आरआरटी 2013 (2) पेज 878, आरआरटी 2023(1) पेज 14, आरआरटी 2009–10 पेज 485, आरएलडब्ल्यू 2009(2) पेज 1399, आरआरटी 2021(2) पेज 1408, आरआरटी 2019(2) पेज 1338 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2069 से 72 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 325 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 9, करीम खां वल्द मुहम्मद खां, प्रतिवादी संख्या 5 ता 8, जूमी बेवा गुलाब खां एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के नाम से दर्ज है। प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नये खसरा नम्बर 299, 300, 301, 302, 325 व 326 पुराने खसरा नम्बर 286 रकबा 28 बीघा 6 बिश्वा से बनना प्रमाणित है। प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत 2011 से 14 में पुराने खसरा नम्बर 286 रकबा 28 बीघा 6 बिश्वा की खातेदारी में भू–धारक का नाम नोपसिंह, सोलसिंह पुत्र भूर सिंह व काश्तकार के कालम में महमदा पुत्र दुले खां दर्ज है। प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2013 से 16 में काश्तकार के कालम में महमदा पुत्र दुले खां दर्ज है। प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2017 से 20 में पुराने खसरा नम्बर 208 व 207 की खातेदारी महमदा पुत्र दुला व खसरा नम्बर 286 रकबा 28 बीघा 6 बिश्वा में से 4 बीघा 6 बिश्वा में नोप जी पुत्र भूरजी दर्ज है। संवत 2021 से 2036 की जमाबंदी प्रदर्श–6 लगायत 9 में गुलाब खां, करीम खां, सुलेमान खां, यासीन खां पुत्र महमद खां के नाम खातेदारी दर्ज है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

गिरदावरी संवत 2011 से 14 प्रदश–10 में खसरा नम्बर 286 में नोपसिंह वगैरह व महमदा पुत्र दुले खां दर्ज है। संवत 2014 से 17 की गिरदावरी प्रदर्श– 11 में टिप्पणियों के कालम में 4 बीघा 6 बिस्वा में नोप जी पुत्र भूर जी व 24 बीघा में महमदा पुत्र दुलेखां दर्ज है। सम्वत 2018 से 21 प्रदर्श 21 में भी 4 बीघा 6 बिश्वा में नोप जी पुत्र भूर जी दर्ज है। संवत 2033 से 36 प्रदर्श– 13 भी यही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 286 रकबा 28 बीघा 6 बिश्वा में से 4 बीघा 6 बिश्वा पर वादी के पूर्वज नोपजी का कब्जा काश्त रहा है। वादी का कथन है कि पुराने खसरा नम्बर 286 के नये खसरा नम्बर में से 325 रकबा 0.01 हैक्टेयर उसके पूर्वज के कब्जे काश्त व खातेदारी का था जो 4 बीघा 6 बिश्वा से बना है। वादी का यह कथन प्रदर्श–2 से प्रमाणित है। वादी के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हिस्से की भूमि रकबा 0.1562 हैक्टेयर का विक्रय पत्र उसके पुत्र मनोहर सिंह प्रतिवादी संख्या 15 के नाम से पंजीकृत करवा दिया। शेष हिस्से का वादी ने खातेदारी उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण को इसमें कोई एतराज नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में जिन पक्षकारों की फौतगी की सूचना प्राप्त हुई है। उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने बिना प्रदर्शित हुए दस्तावेजात एवं बिना साक्ष्य के ही वादी की साक्ष्य मान्य कर निर्णय के पृष्ठ संख्या 4 पर दस्तावेजात को प्रदर्श 1 से 13 तक अंकित कर दिया इससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 27.01.2023 को पारित अपने ही आदेश के विरूद्ध निष्कर्ष दे दिया जबकि उक्त दस्तावेजात किसी वादी की साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं हुए ना ही वादी के रूप में किसी वादी ने साक्ष्य दी बल्कि प्रतिवादी संख्या 15 के शपथ पत्र को वादी की साक्ष्य का शपथ पत्र मान लिया जो कि विधि के प्रावधानों के विपरित है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पिता नारायण सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 सुलेमान खां की मृत्यु दिनांक 16.08.2015 को ही एवं प्रतिवादी संख्या 2 यासीन खां की मृत्यु दिनांक 20.04.2019 को तथा प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु दिनांक 15.09.2017 को ही हो गयी थी परन्तु उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती यदि निर्णय व डिक्री पारित की जाती है तो वह प्रारम्भ से ही अकृतता लिए हुए होती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 12.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर